

8.5-2018

पत्रावली ग्रुप कोर्ट बजावा में पेश हुआ।
इस प्रकरण के मूल दवा के निस्तारण
शाहीनागा से दिनांक 23-8-2013 को हो
चुका है। इसलिए मूल दवा के निस्तारण
होने के पश्चात इस पत्रावली का कोई
औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण को वही
स्तर पर स्वारीज किया जाकर फैसला
सुधार हो कारिवाल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (सुन्दर)